

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी- रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.
मिसल नम्बर तारीख दायरा तारीख निर्णय
87 / 2025 प्रा.पत्र / 2025 01.09.2025 16.10.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि
नियंत्रक टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री गोरधन लाल जैन निवासी अस्पताल के पास वार्ड नं0 20
उनियारा जिला टोंक मैसर्स डी.के. ब्रदर्स न्यू मार्केट उनियारा जिला टोंक। पिनकोड-304024
मोबाईल नं0 9929063743
2-मैसर्स डी.के. ब्रदर्स न्यू मार्केट उनियारा जिला टोंक। पिनकोड-304024

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)
की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52(सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

- 1-पेरोकार सरकार।
- 2-अभिभाषक अप्रार्थी श्री कैलाश अहलूवालिया उप।

: -निर्णय- :

दिनांक 16/10/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी
दिनांक 07.07.2025 को समय दोपहर 02:00 पी.एम. पर मैसर्स डी.के. ब्रदर्स न्यू मार्केट
उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री
धर्मेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री गोरधन लाल जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स डी.के. ब्रदर्स न्यू मार्केट
उनियारा जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ नमकीन, मसाले, कन्फैक्शनरी व अन्य खाद्य पदार्थ का
कारोबार करते हुए उपस्थित मिला। श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री गोरधन लाल जैन को
अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री गोरधन
लाल जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा
विक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम
जनता को विक्रय हेतु दुकान में नमकीन, मसाले व कन्फैक्शनरी के साथ-साथ दुकान की रैंक
में लगभग 50 मूल पैक पैकड अवस्था में प्रत्येक 120-120 ग्राम पैक स्वीट सुपारी (मन ब्राण्ड)
के विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व



ADL
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री गोरधन लाल जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री गोरधन लाल जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताकर कि दुकान की रैक में लगभग 50 मूल पैक प्रत्येक 120-120 ग्राम पैकड अवस्था में स्वीट सुपारी (मन ब्राण्ड) जिसके बेंच नं0 ओ एवं पैकिंग की दिनांक मई 2025 थी को ज्यों का त्यों पैकड अवस्था में 16 मूल पैक नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा स्वीट सुपारी (मन ब्राण्ड) 16 मूल पैक को अलग-अलग कागज के गत्ते के चार डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे में 4-4 नग प्रत्येक 120-120 ग्राम को ज्यों का त्यों रखकर कागज के गत्ते के डिब्बे को नियमानुसार चार भाग तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर, प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया एवं प्रत्येक लबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-4455 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-4455 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री गोरधन लाल जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद विल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/990 दिनांक 23.07.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2726/एक्ट/2025/2794 दिनांक 16.07.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते



AdL
भारतखत जिला भाजिस्ट
टोंक

मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया स्वीट सुपारी (मन ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी श्री कैलाश अहलूवालिया उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस स्वीट सुपारी (मन ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया स्वीट सुपारी (मन ब्राण्ड) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार नष्ट किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/10/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(सामरतन सोकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक